कोन्लेक्त तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री श्रवण कुमार पोखरणा, अधिवक्ता वादीया

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.10.15

1. वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा गूपड़ी पटवार मण्डल गूपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 55 किता–1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम 1/2 हिस्से से एवम प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/16 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 1/16 हिस्से से अंकित है । कहा कि उक्त वर्णित आराजियात स्वअर्जित है । उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अंकित है । लेकिन मौके पर काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सुविधा के लिये पॉति कर रखी है और तीनों खातेदारों के मध्य अलग अलग पालियॉ पड़ी हुई है लेकिन संयुक्त खातेदारी की आराजियात होने से प्रतिवादीगण वादीया की खातेदारी की आराजियात में दखलन्दाजी करते है । लड़ाई झगड़ा करते है । मनाई करने पर मरने मारनें पर उतारू होते है कहते है कि जमीन ऐसे लोगो को बेच देंगे जो वादीया को उसकी जमीन से बेदखल कर देंगे एवम उसका रास्ता भी बंद कर देगा ।

2. निवेदन किया कि वादीया वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है । प्रतिवादीगणों को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है । कहा कि उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजियात का अब तक विधिक रूप से बॅटवारा नहीं हुआ है ईसलिये वादीया को यह वाद विवश होकर पेश करना पड़ा है । उक्त भूमि का हिस्से कब्जे अनुसार बॅटवारा फरमाया जावे । तथा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीया को उसके 1/2 हिस्से, कब्जे की आराजियात में दखलन्दाजी नहीं करें, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । वादीया को बेदखल नहीं करें, पेड़, बाड़त्र फसल को नहीं काटे । दौरानें वाद उक्त आराजियात को रहन बेह बक्षीस आदि तरिकों से हस्तान्तरित नहीं करें । प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी जबकि ऐसा नहीं करने पर वादीया को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यॉकन रूपयों पैसों में किया जाना सम्भव नहीं होगा । वादीया का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन एवम अशोधनीय क्षति के तीनों बिन्दु वादीया के पक्ष में है ।

3. बिनाय वाद बॅटवारा एवम निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 22.06.15 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगणों द्वारा वादीया को उसकी आराजियात के हक अधिकारों को चुनौति दी । तब से ही वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

4. वादीया द्वारा वाद पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 की पेश की गई है ।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1, 2 नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुऐ है जिससे उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या–3 राजपैरोकार द्वारा जबाब पेश नहीं करना चाहा ।

6. साक्ष्य वादी के अन्तर्गत वादीया द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 वाद की पुष्टि में पेश किया गया है ।

7. हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीया की बहस को सुना । वाद के तथ्यों पर मनन् किया । दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–70 का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा गूपड़ी पटवार मण्डल गूपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 55 किता–1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम 1/2 हिस्से से एवम प्रतिवादी संख्या–1 के नाम 7/16 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या–2 के नाम 1/16 हिस्से से अंकित है । उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अंकित है । लेकिन मौके पर काश्त की सुविधा के लिये पॉति कर रखी है और तीनों खातेदारों के मध्य अलग अलग पालियॉ पड़ी हुई है लेकिन संयुक्त खातेदारी की आराजियात होने से प्रतिवादीगण वादीया की खातेदारी की आराजियात में दखलन्दाजी करते है । लड़ाई झगड़ा करते है । मनाई करने पर मरने मारनें पर उतारू होते है कहते है कि जमीन ऐसे लोगो को बेच देंगे जो वादीया को उसकी जमीन से बेदखल कर देंगे । चूँकि संयुक्त खातेदारी की आराजियात का बॅटवारा विधिक रूप से नहीं हुआ है ऐसी परिस्थिति में लड़ाई झगड़ा होना स्वामाविक है अतः वादग्रस्त आराजियात का बॅटवारा हिस्से कब्जे अनुसार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है । प्रतिवादीगणों द्वारा जबाब दावा भी पेश नहीं किया गया है न हीं वे नियत पेशी दिनांक को न्यायालय हाजा में उपस्थित ही हुऐ है । अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मौजा गूपड़ी पटवार मण्डल गूपड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 55 किता–1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि का हिस्से एवम कब

के आधार पर विधिक प्रावधानों के अनुसार बॅटवारा किया जावे । उक्त भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 7/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–2 का 1/16 हिस्सा है । इसी अनुसार बॅटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार वल्लभनगर को 1000/–रूपये शुल्क पर बॅटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि बॅटवारा प्रस्ताव विधिक प्रावधानों के तहत हिस्से/कब्जे अनुसार किया जावे । बॅटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को सूचित किया जावे तथा यथासंभव सभी पक्षकारान की उपस्थित मे बॅटवारा प्रस्ताव पारित किया जावे । बॅटवारा प्रस्ताव, लगान सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे । फीस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें ।

9. प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

10. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर